संख्या-8/2026/417/001-1988860

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 18 जून ,2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बसंत कुंज योजना, सेक्टर-जे, लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबन्धन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए कार्पस फण्ड की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-317/वी0सी0/ईई-7/25 दिनांक 23.07.2025 एवं पत्र सं0-372/वी0सी0/ईई-7/25 दिनांक 18.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से बसन्तकुंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर-जे में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबन्धन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण में व्यय होने वाली धनराशि की प्रतिवर्ष निरन्तर व्यवस्था हेतु "राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रबन्धन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण कोष" बनाते हुए एक कार्पस फण्ड जिसमें प्राधिकरण स्तर तथा शासन स्तर से धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में बसंतकुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रख-रखाव एवं संचालन हेतु आवश्यक कार्पस फण्ड हेतु शासन स्तर से प्राविधानित **धनराशि रू0 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत कार्पस फण्ड की धनराशि को कोषागार से आहरित कर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रख-रखाव एवं संचालन हेतु बैंक में सावधि जमा खाते के रूप में रखा जायेगा तथा उसके ब्याज से प्राप्त होने वाली निरन्तर धनराशि से परियोजना के प्रबन्धन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण का कार्य कराया जा सकेगा।

(2) इस खाते का संचालन उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(3) अनुरक्षण का कार्य कार्पस फण्ड के मूलधन से नहीं कराया जायेगा।

(4) समय-समय पर इस धनराशि के ऑडिट कराये जाने की नियमित व्यवस्था की जायेगी।

(5) प्रस्तावित धनराशि को आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त प्रायोजन/कार्यों हेतु पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हो।

(6) किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/ऑडिट प्रस्तर के संबंध में वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण उत्तरदायी होगें।

.... 2 पर

https://shasanadesh.up.gov.in/

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस शासनादेश में निर्धारित शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण का होगा। यदि निर्धारित शर्तों के अनुपालन में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को दी जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 002 लेखा शीर्षक 22170580000300 राष्ट्र प्रेरणा स्थल हेतु कार्पस फण्ड मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश अशासकीय पत्र संख्या E-8-85-X-2026-27-दिनांक:9-6-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या-8/2026/417(1)/001-1988860 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/नगर विकास विभाग/पर्यटन विभाग/संस्कृति विभाग/लोक निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग ।
3. आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ ।
4. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम निहोर
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in/